न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3324–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–9–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 518/12–13/अपील.

रामचन्द्र सुखीजा पुत्र बासुमल सुखीजा
निवासी ग्राम नीमचन्दोहा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– रामनिवास उर्फ राजनिवास पुत्र छोटे सिंह
निवासी ग्राम कैलारस जिला मुरैना

2– श्रीमती बैजंती पुत्री स्व. श्री छोटे पत्नी केदार
निवासी ग्राम भंवरौली
जिला धौलपुर राजस्थान .....अनावेदकगण

3– कल्लू खां पुत्र नन्हें खां
द्वारा शहजादी बेवा कल्लू खां
निवासी लश्कर, ग्वालियर .....फॉरमल अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव,अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक,अनावेदक क. 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/9/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, तहसील ग्वालियर के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम चंदोहा खुर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 39/4 एवं 40/1 उसके पिता छोटे पुत्र बल्देवा के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । पटवारी द्वारा उसके पिता की मृत्यु उपरान्त फर्जी तरीके से राजस्व अभिलेखों में अनावेदक कमांक 3 कल्लू खां पुत्र नन्हें खां का नाम दर्ज कर दिया गया है और उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि आवेदक रामचन्द्र सुखीजा को विकय कर दी गई तथा आवेदक द्वारा नामान्तरण करा लिया गया है । अतः अनावेदक कमांक 3 के नाम की, की गई फर्जी प्रविष्टि निरस्त कर अनावेदक कमांक 1 का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 111/11–12/बी–121 दर्ज कर दिनांक 26–3–2012 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3–5–2013 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–9–2014 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक भूमिस्वामी छोटे पुत्र बल्देवा के स्थान पर उसके वैध उत्तराधिकारियों के विधिवत नामांतरण किये जाने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्कों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि के अभिलखित भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 3 के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी और आवेदक द्वारा उसी से भूमि कय की गई तथा विकय पत्र के आधार पर नामांतरण पंजी कमांक 6 पर पारित आदेश दिनांक 20–7–92 से उसका नामांतरण भी हो गया है, तब से वह निरंतर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है । तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये थे कि अनावेदक

कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 115/116 की श्रेणी में नहीं आता है । उक्त विधिसंगत निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 तहसील न्यायालय में यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि छोटेलाल की मृत्यु कब हई है और छोटे ने अपने जीवनकाल में अनावेदक कमांक 3 के पक्ष में हुए नामांतरण को चुनौती क्यों नहीं दी गई । अपर आयुक्त द्वारा अभिलेख के विपरीत अनावेदक कमांक 1 को छोटे का पुत्र मान्य करने में त्रुटि की गई है ।

(3) नामांतरण पंजी कमांक 6 पर आवेदक का विधिवत नामांतरण हुआ है, इसके बावजद भी अपर आयुक्त द्वारा नामांतरण आदेश को अधिकारिता रहित आदेश मानकर अपील स्वीकार करने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

(4) आवेदक वर्ष 1992 से राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी अंकित चला आ रहा है और अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा ऐसी काई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि उक्त इन्द्राज फर्जी है । संहिता की धारा 117 के अंतर्गत जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं कर दिया जाये, खसरे की प्रविष्टि को सही माना जायेगा। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत है कि विकेता की प्रविष्टि अधिकारिता रहित थी, इसलिए आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आवेदक का नामांतरण विधिवत स्वत्व प्राप्त होने पर ही किया गया है ।

(5) आवेदक वर्ष 1992 से लगातार राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी दर्ज होता चला आ रहा है, अतः 20 वर्ष के पश्चात संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत उक्त प्रविष्टि संशोधित नहीं की जा सकती है । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि छोटे पुत्र बल्देवा के नाम अंकित रही है और उसके बाद कल्लू के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । अनावेदक कमांक 1 एवं 2 साक्ष्य तथा दस्तावेजों से यह सिद्ध नहीं कर सके हैं कि छोटे उर्फ बल्देवा उसके पिता का नाम है । उक्त भूमि उसके पिता की थी, इस बिन्दु पर परीक्षण न्यायालय ने सम्पूर्ण साक्ष्य एवं दस्तावेजों के विवेचना के पश्चात ही आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिसंगत है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई थी, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(6) आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित किया गया है, जो प्रथम तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 के न्यायालय में प्रकरण कमांक 168/ए/2015 ई.दी. विचाराधीन है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके पिता छोटे की मृत्यु उपरांत अनावेदक कमांक 3 कल्लू द्वारा फर्जी तरीके से प्रश्नाधीन भूमि पर अपने नाम इन्द्राज करा लिया गया है । इस प्रकार अनावेदक कमांक 3 का नाम बिना किसी स्वत्व के बिना प्रकिया का पालन किये दर्ज किया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही है और ऐसी प्रविष्टि के संबंध में समय–सीमा लागू नहीं होती है । उक्त प्रविष्टि को संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है । तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना विचार किये आदेश पारित किये गये हैं, अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 मृतक छोटे के पुत्र–पुत्री होकर वैध वारिस हैं, अतः अपर आयुक्त द्वारा मृतक छोटे के वारिसों का नामांतरण किए जाने का आदेश देने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 3 औपचारिक पक्षकार है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियां उसके पिता छोटे पुत्र बल्देवा के नाम से थी, उनकी मृत्यु उपरांत अनावेदक कमांक 3 द्वारा फर्जी तरीके से अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर भूमि का विकय आवेदक को किया जाकर उसका नामांतरण करा लिया गया है, अतः आवेदक का नाम निरस्त कर उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–3–2012 को आदेश पारित कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा यह नहीं बतलाया गया है कि उसके पिता की मृत्यु किस दिनांक को हुई है । आवेदक के पक्ष में नामांतरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है और सक्षम अधिकारी के आदेश से ही राजस्व

अभिलेखों में प्रवष्टि हुई है और ऐसी प्रविष्टि को संहिता की धारा 116 के अंतर्गत शुद्ध नहीं किया जा सकता है । अनावेदक कमांक 3 कल्लू के पक्ष में नामांतरण पंजी कमांक 6 पर दिनांक 20–7–92 को नामांतरण किया गया है और उक्त प्रविष्टि को लगभग 20 वर्ष पश्चात संशोधित कराने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । इसके अतिरिक्त संवत् 2045 लगायत 2048 तक प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में छोटे पुत्र बल्देवा जाति मुसलमान अंकित है, जबकि अनावेदक कमांक 1 स्वयं को गुर्जर बताता है और उक्त प्रविष्टि को फर्जी भी नहीं बताता है । अतः अनावेदक कमांक 1 छोटे का पुत्र कैसे हो सकता है । उपरोक्त निष्कर्ष निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित हैं और उनके परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी कोई त्रुटि नहीं की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये और बिना अतिरिक्त साक्ष्य लिये मृतक भूमिस्वामी छोटे पुत्र बल्देवा के वैध उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण किये जाने के आदेश देने में पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं, उसके संबंध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं ली गई है कि वास्तव में छोटे की जाति मुसलमान थी अथवा नहीं । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–9–2014 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–2013 स्थिर रखा जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर